पत्र संख्या–सी0आर0को0–103/2020........................../सा0प्र0

बिहार सरकार

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

प्रेषक,

राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

<u>सभी अपर मुख्य सचिव,</u>
<u>सभी प्रधान सचिव/सचिव,</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना,</u>
<u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार</u>
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना–15, दिनांक–........................./

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों (उम्र 40 वर्ष से ऊपर) को वार्षिक जाँच की सुविधा सुलभ कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–381(14) दिनांक–12.02.2020.**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगिक विषयक के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय आरक्षी सेवा/भारतीय वन सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वित्त वाणिज्य कर सेवा/बिहार पुलिस सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों (उम्र 40 वर्ष से ऊपर) एवं अन्य (जिन्हें यह सुविधा प्रदत्त है) को वार्षिक जाँच की सुविधा सुलभ कराने हेतु राज्य के अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को उक्त स्वास्थ्य जाँच में कम समय लगे तथा असुविधा नहीं हो, के संदर्भ में दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

अतः स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–381(14) दिनांक–12.02.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत सभी बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों को इस आशय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(राम शंकर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सी0आर0को0–103/2020–सा0प्र0.....3434..... **दिनांक–**....5-3-2020....

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट के नोटिस बोर्ड पर आपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं प्रेषित।

04.3.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या–सी0आर0को0–103/2020........................../सा0प्र0

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना–15, दिनांक–......................../

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों (उम्र 40 वर्ष से ऊपर) को वार्षिक जाँच की सुविधा सुलभ कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–381(14) दिनांक–12.02.2020.**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगिक विषयक के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय आरक्षी सेवा/भारतीय वन सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वित्त वाणिज्य कर सेवा/बिहार पुलिस सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों (उम्र 40 वर्ष से ऊपर) एवं अन्य (जिन्हें यह सुविधा प्रदत्त है) को वार्षिक जाँच की सुविधा सुलभ कराने हेतु राज्य के अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों को उक्त स्वास्थ्य जाँच में कम समय लगे तथा असुविधा नहीं हो, के संदर्भ में दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

अतः स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–381(14) दिनांक–12.02.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत सभी बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों को इस आशय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

04.3.2020

(राम शंकर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक – 14 / विविध–10 / 2008– 381 (14)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

निबंधित

फैक्स/ईमेल

प्रेषक,

संजय कुमार

सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव,

गृह विभाग, बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक – 12.02.2020

विषय – भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय आरक्षी सेवा/भारतीय वन सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वित्त वाणिज्य कर सेवा/बिहार पुलिस सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों (उम्र 40 वर्ष से ऊपर) एवं अन्य (जिन्हें यह सुविधा प्रदत्त है) को वार्षिक जॉच की सुविधा सुलभ कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि बिहार राज्य के विषयांकित सेवा के पदाधिकारीगण द्वारा अपना वार्षिक स्वास्थ्य जाँच, राज्य के सभी निकटतम मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में एवं वैसे किसी भी निकटतम सी0जी0एच0 एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी चिकित्सा संस्थान /निजी चिकित्सा संस्थान/केन्द्र में कराई जा सकती हैं, जहाँ विषयांकित जाँच की सुविधायें हैं।

2. राज्य के अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए उपर्युक्त विषयांकित सेवा के पदाधिकारीगण को इस जाँच में कम समय लगे तथा असुविधा नहीं हो, के लिए निम्नांकित व्यवस्था की गई है:–

(क) पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जॉच के लिए निकटतम मेडिकल कॉलेज अस्पताल / इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना जाने के पूर्व संबंधित पदाधिकारियों के कार्यालय के द्वारा निम्नांकित सम्पर्क पदाधिकारियों को पूर्व सूचना दी जा सकती है, ताकि वे इसकी समुचित व्यवस्था कर सकें :–

सम्पर्क पदाधिकारी का पदनाम	संस्थान का नाम	दूरभाष संख्या
अधीक्षक	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	9470003549
अधीक्षक	नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	9470003568
अधीक्षक	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	9470003487

P.T.O

D:\B k folder\health checkup.docx

अधीक्षक	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	9470003252
अधीक्षक	अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	9470003301
अधीक्षक	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	9470003121
जन संपर्क पदाधिकारी	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना	9473191845

(ख) विभिन्न सदर अस्पतालों में जाँच कराने के लिए संबंधित सिविल सर्जन को इसकी सूचना देकर समय निर्धारित कराया जा सकता है।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0 – 4478 दिनांक – 18.03.2013 में निहित निर्देश के अनुसार चिकित्सीय जाँच का पैकज दर निम्न प्रकार है:–

(i) पुरूषो के लिए – रू0 2000
(ii) महिलाओं के लिये – रू0 2200

(घ) किसी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक्स–रे चेस्ट, ultra sound (abdomen) तथा ई0सी0जी0 की जाँच करायी जा सकती है।

(ड) पूरे पैकेज के लिए इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, को पुरूषो के लिये रू0 2000/– (दो हजार) एवं महिलाओं के लिये रू0 2200/– (दो हजार दो सौ) देय होंगें। इसके लिए अधीक्षक,/जन संपर्क पदाधिकारी/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना से संपर्क स्थापित किया जा सकता हैं।

(च) कार्य मूल्यांकन रिर्पोट के साथ फार्म – 4 (Performa for health) medical authority के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। इसके लिए सभी सिविल सर्जन तथा निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा एवं सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक अधिकृत होंगे। सुविधा के ख्याल से बेहतर व्यवस्था यह होगी कि इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा पहले पैथोलॉजिकल जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर लिया जाए, तत्पश्चात ही वे एक्स–रे चेस्ट, ultra sound (abdomen) ई0सी0जी0 की जाँच हेतु किसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अथवा इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जायें और पैथोलॉजिकल जाँच रिपोर्ट की प्रति भी वहाँ दें, ताकि संबंधित सम्पर्क पदाधिकारी उसे प्राधिकृत पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर वापस कर सकें।

12/12/2020
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\R.k folder\health checkup.docx